एक नजर

गंदगी मिलने पर हेडली पिज्जा रेस्टोरेंट को नोटिस

इंदौर (नप्र)। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा इंदौर में खाद्य पदार्थों की गु वत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर लगातार निरीक्ष एवं सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्ष कर कुल 17 खाद्य सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। सी-21 मॉल के सामने जेमिनी मॉल स्थित हेडली पिजा रेस्टारेंट का औचक निरीक्ष किया गया। निरीक्ष के दौरान रेस्टोरेंट के किचन और स्टोरेज क्षेत्र में गंभीर अनियमितताएं और अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। किचन में साफ-सफाई का अभाव था तथा फ्रिज और फर्श पर कॉकरोच घूमते दिखाई दिए। खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किया जा रहा तेल अत्यधिक जला हुआ और काला पाया गया। जूठन के डस्टबिन खुले मिले और तैयार खाद्य पदार्थ बिना ढके रखे पाए गए। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमा पत्र उपलब्ध नहीं थे, जबकि पेस्ट कंट्रोल और पानी जांच का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्ष के दौरान बिना बैच नंबर और पैकिंग डेट वाले नमक का उपयोग पाया गया। खाद्य सामग्री रखने वाले रैक और मॉकटेल निर्मा क्षेत्र में भारी मात्रा में जंग भी मिली। मौके से पनीर, दही, जला हुआ तेल और नमक सहित कुल 4 सैंपल जांच हेतु लिए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत संबंधित फर्म और प्रोपराइटर को नोटिस जारी किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

बुलेट चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार

इंदौर,(नप्र)। बा गंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की करीब एक दर्जन बुलेट और बाइक बरामद हुई हैं। आरोपी महंगी बुलेट चोरी कर उसे ऑर्डर पर उपलब्ध कराते थे। टीआई सियाराम गुर्जर की टीम ने शिवेंद्र, वीरेंद्र और पंकज नाम के तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से चोरी की लगभग चार बुलेट और अन्य बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सूने इलाकों से वाहन चोरी करते थे और इसे शौक-मौज के लिए अंजाम देते थे। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे ऑर्डर पर बुलेट उपलब्ध कराते थे। इस मामले में एक अन्य आरोपी साहिल का नाम भी सामने आया था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मामले की जांच जारी है।

मई में इंदौर शहर में अब तक 35.50 करोड़ यूनिट बिजली वितरित

इंदौर,(नप्र)। शहर में बिजली की मांग में सर्वोच्च स्थिति है। मई में अधिकाश दिनों बिजली मांग सात सौ मैगावाट से ज्यादा दर्ज हुई। पच्चीस दिन में करीब 35.50 करोड़ यूनिट बिजली वितरित हुई है। यह गत वर्ष मई की तुलना में पच्चीस से तीस प्रतिशत ज्यादा है। मई में सबसे ज्यादा बिजली वितर 18 तारीख को एक करोड़ 57 लाख 44 हजार यूनिट हुआ है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितर कंपनी के कार्मिक भीष गर्मी में भी आपूर्ति का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

रूफ टॉप सोलर नेट मीटर क्षमता 425 मैगावाट

इंदौर,(नप्र)। पश्चिम मप्र में रूफ टॉप सोलर नेट मीटर को लेकर सतत कार्य किया जा रहा है। अब रूफ टॉप सोलर नेट मीटर की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 425 मैगावाट से ज्यादा हो चुकी है। अब करीब 67 हजार स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में घरेलू उपभोक्ता को 78 हजार तक सब्सिडी मिलने से तेजी से इस ओर रूझान हो रहा हैं, अब तक 48 हजार स्थानों पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सेटअप लगाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा रूफ टॉप सोलर संयंत्र इंदौर महानगरीय सीमा अंतर्गत 28000 लगाए जा चुके हैं। इंदौर के बाद सबसे ज्यादा सोलर उज्जैन में लगे हैं, तीसरा स्थान रतलाम का हैं।

देवांशु मिश्रा हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्रकैद

किन्नर सहित आरोपियों ने लूट के दौरान चाकू से उतारा था मौत के घाट



इंदौर,(नप्र)। पांच साल पहले इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स डायरेक्टर देवांशु मिश्रा की लूट के दौरान हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक किन्नर सहित तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी किन्नर जोया अब्बासी, अल्लू उर्फ शाहरुख और आलिम उर्फ बल्लू को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और लूट में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

राजेन्द्र सिंह भदौरिया (प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर, अभियोजन) ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य और चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था। अभियोजन पक्ष ने प्रत्येक माह मामले की समीक्षा करते हुए अदालत में साक्ष्यों और तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया।

केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील मणि त्रिपाठी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 14 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना और 19 मई को फैसला सुनाया। अभियोजन द्वारा इसकी अधिकृत जानकारी 25 मई को जारी की गई।

पार्टी से लौटते समय हुई थी वारदात

फरियादी सतीश जाटव और मृतक देवांशु मिश्रा इंदौर की एक रियल एस्टेट कंपनी में कार्यरत थे। 6 अक्टूबर 2021 की रात दोनों अपने साथियों के साथ पार्टी करने के बाद वापस लौट रहे थे। रात में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास पल्सर बाइक पर सवार दो युवक और एक युवती उनके पास पहुंचे। आरोपियों ने पहले युवती को छोड़ने के बहाने बातचीत शुरू की। इसके बाद युवती ने देवांशु से अश्लील प्रस्ताव रखा, जिसे उसने ठुकरा दिया।

इसी दौरान पीछे बैठे आरोपी ने देवांशु के गले से सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में देवांशु के कंधे, सीने और हाथ में गंभीर चोटें आईं। वहीं दूसरे आरोपी ने फरियादी सतीश जाटव के साथ मारपीट की और तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

सुबह कमरे में मिला शव

घटना के बाद सतीश घायल देवांशु को लेकर अपने कमरे पर पहुंचा। दोनों नशे की हालत में थे और कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह सतीश ने देखा कि देवांशु मृत अवस्था में पड़ा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में बरामद हुई लूटी गई चेन

पुलिस ने मामले में जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए और पहचान परेड के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की सोने की चेन और अन्य सामान बरामद किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पत्नी की हत्या कर खुदकुशी मामले में फरार आरोपी ने भी की आत्महत्या

गांव पहुंचकर खाया जहर, ग्रामी ों ने बेसुध हालत में अस्पताल पहुंचाया

इंदौर। हीरानगर क्षेत्र में दंपती की मौत के मामले में नामजद आरोपी ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी का शव खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र स्थित उसके गांव में मिला। सोमवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक पीथमपुर निवासी सतीश सावले को हीरानगर पुलिस तलाश रही थी। उस पर आरोप था कि वह अपनी नाबालिग भांजी को लेकर घर से फरार हो गया था। इसी मामले को लेकर रविवार को मेघदूत नगर स्थित कमरे में हल्केवीर पटेल और उसकी पत्नी रोशनी मृत मिले थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि हल्केवीर ने पहले पत्नी का गला घोंटा और बाद में खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

जानकारी के अनुसार फरार होने के बाद सतीश सावले खंडवा जिले के घाटाखेड़ी गांव पंधाना पहुंचा था। यहां परिवार से मिलने के बाद उसने नाबालिग भांजी को राजौदा गांव में छोड़ा। इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। शाम के समय गांव के लोगों ने उसे बेसुध हालत में देखा और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मामले में सतीश के फरार होने के दौरान के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। फुटेज में वह स्कूटर से नाबालिग को लेकर जाता दिखाई दिया था। हीरानगर पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया था।

हल्केवीर पटेल ने आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड नोट में भी सतीश का नाम लिया था। उसने नोट में आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। वहीं हल्केवीर के परिजनों ने भी सतीश पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हनीट्रैप मामले में आरोपी कोर्ट में पेश, सभी को जेल भेजा

इंदौर। हनीट्रैप केस में क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने सात आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। इसमें श्वेता विजय जैन, अल्का दीक्षित, जयदीप दीक्षित, रेशु चौधरी, लाखन चौधरी,विनोद शर्मा और जितेंद्र पुरोहित शामिल हैं। शराब कारोबारी चिंटू ठाकुर की शिकायत पर इन पर केस दर्ज हुआ था।

डीसीपी (अपराध) राजेश त्रिपाठी के अनुसार आरोपियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। मोबाइल और कार जब्त कर ली गई है। कुछ संदेही हैं उनकी भूमिका स्पष्ट कर रहे हैं। आरोपित श्वेता जैन, अलका दीक्षित, जयदीप दीक्षित, लाखन चौधरी, रेशू चौधरी, जितेंद्र पुरोहित और प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा को सोमवार को कोर्ट पेश किया गया।

इधर, हनीट्रैप केस में आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) की एंट्री हुई है। एसआईटी के पहले एटीएस रेशू के घर पहुंच कर वो मोबाइल जब्त कर लिया जिससे फोटो इधर-उधर भेजे थे। साइबर एक्सपर्ट अब फारवर्ड डेटा रिकवर करने में जुटे हैं। रेशू का ब्वॉयफ्रेंड शुभम भी जांच की जद में आ गया है।

तालाब में नहाने गया नाबालिग डूबा

इंदौर,(नप्र)। तेजाजी नगर इलाके में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया एक नाबालिग डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच की है। वह पानी में एक टीले से कूदा था, जहां गाद में फंस गया। दोस्तों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद आसपास के लोगों से मदद मांगी गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। टीआई देवेंद्र मरकाम के मुताबिक, महादेव नगर निवासी आशीष मकवाना अपने करीब 7 दोस्तों के साथ बिलावली तालाब में नहाने पहुंचा था। इस दौरान वह गहराई में जमी गाद में फंस गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। आशीष का परिवार मजदूरी करता है।

अवैध हथियार सप्लायर चेतन नाथ पुलिस घेराबंदी तोड़कर फरार

पुलिस ने साथी को पिस्टल के साथ दबोचा,12 दिन पहले पकड़ाए अक्षय ने लिया था चेतन का नाम



इंदौर,(नप्र)। इंदौर और धार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी चेतन नाथ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध पिस्टल सप्लाई करने के आरोप हैं।

पुलिस के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से फरार चल रहे आरोपी चेतन नाथ निवासी अहीरखेड़ी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। उस पर द्वारकापुरी और राजेंद्र नगर इलाके में करीब एक दर्जन लोगों को अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोप है।

पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी

जानकारी के अनुसार करीब 12 दिन पहले राजेंद्र नगर पुलिस ने अक्षय शर्मा को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अक्षय ने चेतन नाथ का नाम उजागर करते हुए बताया था कि चेतन कई लोगों को अवैध पिस्टल बेच चुका है। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

रविवार को धार जिले के नौगांव थाना पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने संजय उर्फ सत्या को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देशी पिस्टल और मोपेड बरामद की। हालांकि मौके पर मौजूद चेतन नाथ पुलिस को देखकर फरार हो गया।

संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही पुलिस

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चेतन नाथ पर हत्या, लूट और मारपीट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बताया गया है कि वह हाल ही में एक हत्याकांड के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में सक्रिय हो गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी चेतन नाथ की तलाश में जुटी है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

ज्वेलर्स के घर चोरी, सोना और नकदी गायब

इंदौर,(नप्र)। तिलक नगर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स संचालक के घर चोरी की वारदात हुई है। सुमन बेरा निवासी गोयल नगर ने बताया कि रविवार दोपहर वह घर पर ताला लगाकर कॉलोनी में कार्यक्रम में गई थीं। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अलमारी से जेवर व नकदी गायब थे। चोरी की गई सामग्री में सोने की पांच अंगूठियां, दो लॉकेट, चेन, कंगन, चूड़ियां और नकदी शामिल है। तिलक नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।

विजयनगर में पुराने चोरी मामले में एफआईआर दर्ज

विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली कीर्ति गघोरिया ने मालवीय नगर में हुई चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 15 मई को कार्यक्रम में जाने के बाद घर लौटने पर अलमारी से सोने का हार और कान की बालियां गायब थीं। पीड़िता ने इस मामले में अपने रिश्तेदार दंपति पर संदेह जताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



नियमों का उल्लंघन करने वाली 449 बसों पर की कार्रवाई

इंदौर,(नप्र)। पुलिस मुख्यालय के निदेर्शानुसार दिनांक 21 मई 2026 से 27 मई 2026 तक यह अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यात्री बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है।

इसी क्रम में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह व पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा शहर के चारों यातायात जोनों में विशेष सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यात्री बसों के दस्तावेजों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 449 बसों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

चैकिंग के दौरान जिन बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं पाए गए, अनाधिकृत स्थानों से सवारी चढ़ाने-उतारने, बिना वैध लाइसेंस वाहन संचालन, बसों में अवैध मॉडिफिकेशन तथा इमरजेंसी एग्जिट सही स्थिति में नहीं मिलने जैसी कमियां पाई गईं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके अलावा बसों के आरसी, परमिट, फिटनेस, बीमा, चालक लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई।

चोरी के 11 मोबाइल व 1 स्कूटी सहित शातिर चोर लक्षद्वीप गिरफ्तार

इंदौर,(नप्र)। थाना अन्नपू र्ा पुलिस ने एक शातिर चोर को धर-दबोचा है। खास बात ये है कि आरोपी का नाम तो पवन है, पर कारनामे ₹लक्षद्वीप₹ जैसे दूर-दूर तक फैले थे। थाना प्रभारी अन्नपू र्ा को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में सक्रिय पवन उर्फ लक्षद्वीप नाम का युवक चोरी के मोबाइल और गाड़ियां खपाने की फिराक में है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी पवन उर्फ लक्षद्वीप को पकड़ा।

लक्षद्वीप के खजाने से निकला चोरी का जखीरा- अलग-अलग कंपनियों के, चोरी के 11 नग मोबाइल फोन चोरी की 1 स्कूटी बिना नंबर की। कुल मश्रुका कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए। पूछताछ में आरोपी ने इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया है। स्कूटी भी इंदौर से ही चोरी करना बताया है, जिसके संबंध में जानकारी निकाली जा रही है। आरोपी चोरी के मोबाइल को सस्ते दामों में बेचकर नशे की लत पूरी करता था।

आरोपी का नाम लक्षद्वीप क्यों? पूछताछ में पता चला कि आरोपी इतना शातिर है कि चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए शहर बदल लेता था। कहता था मैं तो लक्षद्वीप चला जाऊंगा, पुलिस क्या पकड़ेगी। इसी वजह से दोस्तों ने नाम रख दिया लक्षद्वीप। पर अन्नपू र्ा पुलिस ने ₹लक्षद्वीप₹ को इंदौर में ही समेट दिया और गिरफ्त में ले लिया।

NAME CHANGE

I want to inform you earlier i was known as Saloni Dassani and now I got married with Sanyam Bothra I want to get my name changed to **Mrs Saloni Bothra** W/o Mr Sanyam Bothra. In future I'll know with this name only. Thank you.

Name - **Mrs. Saloni Bothra**
W/o **Mr. Sanyam Bothra**
Address - 103, Rashmi Apartment, Rani sati gate, Near charak hospital, INDORE - 452001
Mob. : 8239462661

मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीप्ति श्रीवास्तव पति कल्पवृक्ष श्रीवास्तव, निवासी 107 फर्स्ट फ्लोर शाम टावर 164/ 2 आर.एन.टी. मार्ग नियर होटल प्रेजिडेंट इंदौर (मप्र) 452001 द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजनान्तर्गत स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर -07 स्थित आवासीय कालोनी के जोन 10 भूखंड क्रमांक 1011 को रुगनाथ उर्फ रघुनाथ पिता सूरजमल निवासी 150 चायदिपुरा ग्राम रणमलबिल्लोद, तहसील देपालपुर जिला इंदौर (मप्र) से पंजीकृत विक्रय विलेख क्र.MP7IGR17512025 A 101192793 दिनांक 24-12-2025 से क्रय किया गया है। उक्त भूखंड का नामांतरण एमपीआईडीसी लि. क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के अभिलेख में दीप्ति श्रीवास्तव पति कल्पवृक्ष श्रीवास्तव निवासी 107 फर्स्ट फ्लोर शाम टावर 164/ 2 आर.एन.टी. मार्ग नियर होटल प्रेजिडेंट इंदौर (मप्र) 452001 के नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर मय लिखित दस्तावेजों के साथ कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में लिखित आपत्ति दर्ज करावे। अन्यथा उक्त अवधि के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। सर्वसंबंधित को सूचित होवे।

(कार्यकारी संचालक)
मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/60/का. से./2026 इन्दौर, दिनांक 25/05/2026

:: विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-बड़ियाकीमा तहसील बिचौलीहप्सी जिला इन्दौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ क्र	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	भूमिस्वामी 1. श्री विशाल पटेल पिता श्री जगदीश पटेल 2. श्री हिमांशु पटेल पिता श्री जगदीश पटेल तर्फे विकास कर्ता के. जे. एजेन्सी तर्फे प्रोप्रायटर श्री. भूपेश संघवी पिता श्री जयंतीलाल संघवी पता-475, जवाहर मार्ग, सियागंज मेन रोड जिला इंदौर (मप्र) कालोनी का नाम श्री नाथ ऐवेन्यु फेस-I	ग्राम बडियाकीमा तहसील बिचौलीहप्सी जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 274/2 रकबा 1.693 हे., सर्वे नंबर 311/1/2 रकबा 1.295 हे., सर्वे नंबर 272/2/2 रकबा 0.521 हे., सर्वे नंबर 272/2/1/2 रकबा 0.202 हे. सर्वे नंबर 271/1/2 रकबा 0.303 हे., सर्वे नंबर 271/2 रकबा 0.805 हे., सर्वे नंबर 275/2/3 रकबा 0.074 हे.,276/2 रकबा 0.247 हे. सर्वे नंबर 275/1 रकबा 0.429 हे,सर्वे नंबर 311/1/1 1.477 हे, सर्वे नंबर 274/1 रकबा 1.500 हे.,सर्वे नंबर 272/2/1/1 रकबा 0.625 हे.,सर्वे नंबर 272/1 रकबा 0.421 हे. सर्वे नंबर 271/1/1 रकबा 0.546 हे. कुल रकबा 10.138 हे. भूमि पर	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक MP7IG R17522026A100456240 इंदौर दिनांक 15.04.2026 से भूखंड क्र. 81 से 82 से 86 तक, 87, 88, 89 से 93, 94, 95, 96 से 100, 101,102, 103 से 106, 107, 108, 109 से 112, 113, 4, 23, 24, 45, 46, 47, 62, 63,66, 67, 75, 76, 77, 78, 79,80, 65, 57, 12 ए, इस प्रकार कुल 52 भूखंड जिसका कुल क्षेत्रफल 16149.02 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये हैं।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 52 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा। (कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
कॉलोनी सेल शाखा जिला- इन्दौर

म. प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कृतिका खरे पिता अभय खरे पता - डी. 52, रजत विहार, होशंगाबाद रेाड, भोपाल, यूनिवर्सिटी, हुजूर, भोपाल, (म.प्र.) 462026 द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजनान्तर्गत ₹स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर-07₹ स्थित आवासीय कॉलोनी के जोन 01 भूखण्ड क्रमांक 1005 को मनीष शर्मा पिता शारदाप्रसाद शर्मा निवासी - 393, महालक्ष्मी नगर, नियर सुनसिटी कॉलोनी, पिपलिया कुमार, पिन 452001, इंदौर (म.प्र.), से पंजीकृत विक्रय पत्र MP7IGR17512026A100333079 दिनांक 21/03/2026 से क्रय किया गया है। उक्त भू-खण्ड का नामांतरण एम.पी.आई.डी.सी.लि. क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के अभिलेख में श्रीमती कृतिका खरे पिता अभय खरे पता डी. 52, रजत विहार, होशंगाबाद रेाड, भोपाल, यूनिवर्सिटी, हुजूर, भोपाल, (म.प्र.) 462026 के नाम पर दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर मय लिखित दस्तावेजो के साथ कार्यकारी संचालक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में लिखित आपत्ति दर्ज करावें। अन्यथा उक्त अवधि के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। सर्वसम्बंधित को सूचित होवे।

(कार्यकारी संचालक)
म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

म. प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीपा भाटिया पिता उधाराम भाटिया, पता- 67, सम्राट अशोक नगर, बिहाइंड सपना संगीता, इंदौर, (म.प्र.), पिन 452001 द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजनान्तर्गत ₹स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर-07₹ स्थित आवासीय कॉलोनी के जोन 10 भूखण्ड क्रमांक 1012 को (1) जमनाबाई पति नारायण कुमरावत (2) कौशल्या सूर्यवंशी पति बालमुकुन्द सूर्यवंशी (3) पद्माबाई कुमरावत पति रमेशचंद कुमरावत (4) शिवनारायण पिता बद्रीलाल (5) ललिता तम्बोली पति परमानन्द तम्बोली, निवासी शंकरपुरा, बेटमा, तेहसील देपालपुर, जिला- इंदौर, (म.प्र.), 453001 से पंजीकृत विक्रय विलेख क्र. MP7IGR17512026A100408354 दिनांक 30/03/2026 से क्रय किया गया है। उक्त भू-खण्ड का नामांतरण एम.पी.आई.डी.सी.लि. क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के अभिलेख में दीपा भाटिया पिता उधाराम भाटिया, पता- 67, सम्राट अशोक नगर, बिहाइंड सपना संगीता, इंदौर, (म.प्र.), पिन -452001 के नाम पर दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर मय लिखित दस्तावेजो के साथ कार्यकारी संचालक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में लिखित आपत्ति दर्ज करावें। अन्यथा उक्त अवधि के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। सर्वसम्बंधित को सूचित होवे।

(कार्यकारी संचालक)
म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

म. प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीप्ती श्रीवास्तव पति कल्पवृक्ष श्रीवास्तव पता न-2, साकेत नगर, नियर जीनियस स्कूल, इंदौर, (म.प्र.) 452018 द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजनान्तर्गत ₹स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर-07₹ स्थित आवासीय कॉलोनी के जोन 01 भूखण्ड क्रमांक 1037 को मनीष शर्मा पिता शारदाप्रसाद शर्मा निवासी 393, महालक्ष्मी नगर, नियर सनसिटी कॉलोनी, पिपलिया कुमार, पिन - 452001, इंदौर (म.प्र.), से पंजीकृत विक्रय पत्र MP7IGR17512026A100333060 दिनांक 21/03/2026 से क्रय किया गया है। उक्त भू-खण्ड का नामांतरण एम.पी.आई.डी.सी.लि. क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के अभिलेख में दीप्ती श्रीवास्तव पति कल्पवृक्ष श्रीवास्तव पता - न-2, साकेत नगर, नियर जीनियस स्कूल, इंदौर, (म.प्र.) 452018 के नाम पर दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर मय लिखित दस्तावेजो के साथ कार्यकारी संचालक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में लिखित आपत्ति दर्ज करावें। अन्यथा उक्त अवधि के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। सर्वसम्बंधित को सूचित होवे।

(कार्यकारी संचालक)
म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर
ढँक्वल्लीः (0) 0731-

SHREE PACETRONIX LIMITED

CIN: L33112MP1988PLC004317
R.O.: Plot No.15, Sector II, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar-454775 (M.P.)
Tel No. 07292-411105, Fax no. 07292-400418
E-mail:pacetronix@hotmail.com website: www.pacetronix.com

(Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.26	31.03.25	31.03.26
	(Audited)		(Audited)	(Audited)		(Audited)
Total Income from operation (Net)	541.18	430.56	2175.31	541.40	430.68	2176.01
Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	126.98	65.07	408.69	141.27	64.74	421.36
Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	126.98	65.07	408.69	141.27	64.74	421.36
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	97.05	46.55	301.74	111.15	45.48	314.39
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income(after tax)]	97.05	46.55	301.74	111.15	45.48	314.39
Equity Share Capital	374.97	359.94	374.97	374.97	359.94	374.97
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	1405.56	-	-	1405.56
Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-	-	-
(a) Basic (in Rs.)	2.67	1.29	8.31	3.06	1.26	8.66
(b) Diluted (in Rs.)	2.61	1.29	8.13	2.99	1.26	8.47

Notes:

1.The above is an extract of the detailed Statement of Standalone/Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Statement of Standalone/Consolidated Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and on company website (www.pacetronix.com) can be accessed from the QR Given Below.

2.The above result of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

QR Code

Date: 25th May, 2026
Place: Pithampur

SHREE PACETRONIX LIMITED
Sd/-Atul Kumar Sethi
Managing Director
(DIN: 00245685)